रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277748
CG-DL-E-07112026-277748

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5801] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 5801] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2026

का.आ. 6033(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, लक्षद्वीप, संघ राज्यक्षेत्र के लिए संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (यूटीईआईएए) (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है)का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

क्र. सं.	नाम और पता	पदनाम
(1)	डॉ. टी. एन. प्रकाश, फ्लैट डी-1029, ब्रिगेड 7 गार्डन्स, पडुकमंदिरा रोड, सुब्रमण्यपुरा पोस्ट ऑफिस, उत्तरहल्ली, बेंगलुरु-560061	अध्यक्ष;
(2)	डॉ. दीपक सामुअल वी.,	सदस्य; और

	वैज्ञानिक 'ई', सीएमआर प्रभाग, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र (एनसीएससीएम), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अन्ना विश्वविद्यालय परिसर, चेन्नई-600025, तमिलनाडु	
(3)	उप वन संरक्षक, पर्यावरण और वन विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, कावारत्ती-682555	सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

3. प्राधिकरण, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

4. प्राधिकरण, इस अधिसूचना के पैरा 6 के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति की सिफारिशों के आधार पर अपना विनिश्चय करेगा।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में लिए जाएंगे तथा सर्वसम्मति से पारित किए जाएंगे।

परंतु यह कि, यदि कोई विनिश्चय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, तो उसके पक्ष और विपक्ष में व्यक्त किए गए मतों के ब्यौरे बैठक की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को प्रेषित की जाएगी।

6. इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, लक्षद्वीप प्रशासन के परामर्श से, प्राधिकरण को सहायता प्रदान करने के प्रयोजन से, लक्षद्वीप के लिए संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:—

क्र. सं.	नाम और पता	पदनाम
(1)	डॉ. जी. धारणी, वैज्ञानिक-जी, समूह निदेशक– समुद्री जीवित संसाधन, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, वेलाचेरी, तांबरम मेन रोड, पल्लिकरनई, चेन्नई – 600100	अध्यक्ष;
(2)	डॉ. उमा शंकर पांडा, वैज्ञानिक-एफ, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र(एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर, पल्लिकरनई, चेन्नई– 600100	सदस्य;
(3)	डॉ. राजकुमार रंजन, वैज्ञानिक-एफ और प्रभारी अधिकारी, समुद्री जीवविज्ञान क्षेत्रीय केंद्र, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण,130, सैंथोम हाई रोड, चेन्नई – 600028, तमिलनाडु	सदस्य;
(4)	डॉ. अभिलाष के.आर., वैज्ञानिक-सी, तटीय और समुद्री संसाधन प्रबंधन प्रभाग(सीएमआर), राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन	सदस्य;

	केंद्र(एनसीएससीएम), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अन्ना विश्वविद्यालय परिसर, गिंडी, चेन्नई – 600025	
(5)	डॉ. इदरीस बाबू के.के., वैज्ञानिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप, कावारत्ती – 682555	सदस्य;
(6)	श्री पी. पूकोया, सहायक निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप, कावारत्ती	सदस्य;
(7)	श्री मुहसिन ए.आई., वैज्ञानिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन, कावारत्ती।	सदस्य
(8)	श्री के. मोहम्मद कासिम, सहायक निदेशक और जिला मत्स्य अधिकारी, मत्स्य निदेशालय, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन, कावारत्ती द्वीप, लक्षद्वीप – 682555।	सदस्य;
(9)	निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप प्रशासन, कावारत्ती – 682555।	सदस्य सचिव।

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

8. समिति, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

10. हितों के टकराव से बचने के लिए-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और साथ ही किस परियोजना प्रस्तावक के साथ सहयुक्त हैं;

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है ; और

(ii) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्ष में, प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया से, यथास्थिति, प्राधिकरण और समिति की बैठकों से स्वयं को अलग कर लेंगे ।

11. लक्षद्वीप प्रशासन, प्राधिकरण और समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा जो वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत उक्त अधिसूचना के अधीन वास-सुविधा, परिवहन और उनके कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

12. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता लक्षद्वीप प्रशासन के सुसंगत नियमों के उपबंधों अनुसार संदत्त किए जाएंगे ।

13. प्राधिकरण और समिति के अध्यक्ष अथवा सदस्य को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, केंद्रीय सरकार द्वारा पद से हटाया जा सकेगा, यदि उनके विरुद्ध ऐसे आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं, जो प्राधिकरण और समिति के कार्य-संचालन को न्यायसंगत, कुशल और निष्पक्ष रीति से प्रभावित करते हों। ऐसे आरोपों में पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए जाने या अस्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों के निस्तारण में विलंब करना भी सम्मिलित हो सकता है, जबकि ऐसा विलंब यथासंशोधित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक हो।

[फा. सं. आईए3-13/1/2026-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2026

S.O. 6033(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (UTEIAA) for Union Territory of Lakshadweep (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely:-

Sl. No.	Name and Address	Designation
(1)	Dr. T.N. Prakash, Flat D-1029, Brigade 7 Gardens, Padukamandira Road, Subramanyapura P.O., Uttarahalli, Bangalore-560061	Chairman;
(2)	Dr. Deepak Samual V, Scientist E, CMR Division, National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India, Anna University Campus, Chennai-600025, Tamil Nadu	Member; and
(3)	Deputy Conservator of Forests, Department of Environment and Forests, Union Territory of Lakshadweep Administration, Kavaratti- 682555	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the Union Territory Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 of this notification.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

6. Further, Central Government, in consultation with the Lakshadweep Administration, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Union Territory Level Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Committee), Lakshadweep comprising of the following Members, namely: -

Sl. No.	Name and Address	Designation
(1)	Dr. G Dharani, Scientist-G, Group Director- Marine Living Resource, National Institute of Ocean Technology, Velachery, Tambaram Main Road, Pallikaranai, Chennai- 600100	Chairman;
(2)	Dr. Uma Shankar Panda, Scientist-F, National Centre for Coastal Research (NCCR), Ministry of Earth Sciences, Government of India, National Institute of Ocean Technology Campus, Pallikaranai, Chennai- 600100	Member;
(3)	Dr Rajkumar Ranjan, Scientist F and Officer-in-Charge, Marine Biology Regional Centre Zoological Survey of India 130, Santhome High Road, Chennai - 600028, Tamil Nadu	Member;
(4)	Dr Abhilash K.R, Scientist C, Coastal and Marine Resources Management Division (CMR), National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM), Ministry of Environment Forest and Climate Change, Government of India, Anna University Campus, Guindy, Chennai- 600025	Member;
(5)	Dr. Idrees Babu K.K, Scientist, Department of Science & Technology Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti-682555	Member;
(6)	Shri P. Pookoya, Assistant Director, Department of Science and Technology, Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti.	Member;
(7)	Shri Muhsin A.I, Scientist, Department of Science and Technology, Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti.	Member;
(8)	Shri K. Mohammed Kasim, Assistant Director and District Fisheries Officer Directorate of Fisheries, Administration of Union Territory of Lakshadweep, Kavaratti Island, Lakshadweep - 682555	Member; and
(9)	Director, Department of Science and Technology, Union Territory of Lakshadweep Administration, Kavaratti- 682555	Member Secretary.

7. The Chairman and Members of the Committee shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility, and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest, -

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Members of the Committee shall, -

(a) declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of environment impact assessment and environment management plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted environment impact assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority and the Committee in the process of appraisal of any project proposed by such proponents.

11. The Lakshadweep Administration shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of their functions under the said notification.

12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Committee shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Lakshadweep Administration.

13. The Chairman or Members of the Authority and Committee are liable to be removed by the Central Government, prior to expiry of the tenure, on account of proven charges which affect the functioning of the aforesaid Authority and Committee in a just, efficient and fair manner. The charges may include delay in processing the proposals for grant or rejection of Environmental Clearance beyond the timelines specified in the Environment Impact Assessment Notification, 2006, as amended.

[F. No. IA3-13/1/2026-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

BHABAJIT DEKA Digitally signed by BHABAJIT DEKA Date: 2026.01.27 00:00:00 +05'30'